न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–41 / 2021 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमि. जिसका पंजिकृत कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, तिलक नगर, जयपुर में स्थित है, जरिये प्राधिकृत अधिकारी यादवेन्द्र सिंह।

––प्रार्थी

विरूद्ध

1. शमशेर अली उर्फ शमशेर अली पुत्र खुशी मोहम्मद पता–मकान नं. 32, चक 3 आर. के., वार्ड नं. 05, राठी खेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––ऋणी / बन्धनकर्ता

2. सिकन्दर अली पुत्र श्री शमशेर अलि पता–मकान नं. 32, चक 3 आर. के., वार्ड नं. 05, राठी खेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीमती रेशमा पत्नी श्री शमशेर अलि पता–मकान नं. 32, चक 3 आर. के., वार्ड नं. 05, राठी खेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––सहऋणी

4. रजत चाहर पुत्र श्री कृषण कुमार पता–वार्ड नं. 10 टिब्बी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
5. नरपत सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह पता– वार्ड नं. 16 टिबि, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––जमानती

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश दिनांकः–14.05.2022

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमि. जिसका पंजिकृत कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, तिलक नगर, जयपुर में स्थित है, जरिये प्राधिकृत अधिकारी यादवेन्द्र सिंह की ओर श्री भवानी सिह निर्वाण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमि., जयपुर में स्थित व कार्यरत है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। वादी वित्तिय संस्था का कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिह है। वह रिकॉर्ड के आधर पर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से भी परिचित है।

अप्रार्थीगण को वित्तिय संस्था ने खाता संख्या 83059 को दिनांक 11.10.2018 को ऋण रूपये 10,00,000 का ऋण स्वीकृत किया एवं ऋण वितरण रूपये 10,00,000 किया। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज व खर्चे के पुनः भुगतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति और उस पर निर्मित मकान प्लॉट साईज 3280 वर्गफीट है जो राठीखेड़ा ग्राम पंचायत राठीखेड़ा पंचायत समिति टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है जो शमशेर अली उर्फ शमशेर अली पुत्र श्री खुशी मोहम्मद के नाम है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत राठीखेड़ा द्वारा दिनांक 01.06.2017 को जारी किया गया, को प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने ऋण करार के अनुसार नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर दिनांक 14.09.2019 को प्रार्थी कम्पनी द्वारा उपरोक्त अप्रार्थीगण के ऋण खाता को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 11,47,950/–रूपये दिनांक 05.12.2019 तक व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 28.12.2019 को धारा 13(2) सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्हें देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक अचल सम्पत्ति और उस पर निर्मित मकान प्लॉट साईज 3280 वर्गफीट है जो राठीखेड़ा ग्राम पंचायत राठीखेड़ा पंचायत समिति टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है जो शमशेर अली उर्फ शमशेर अली पुत्र श्री खुशी मोहम्मद के नाम है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़